राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत संगतपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2017

1. जलदेवसिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति जटसिख निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हरदेवसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. चन्दसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति बाजीगर निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. परविन्द्रसिंह पुत्र विसाखासिंह जाति मजहबी निवासी मोहल्ला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. लखवीरसिंह पुत्र श्री नाजरसिंह निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलदीपकौर पत्नी जगनन्दनसिंह निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. नवजोतसिंह पुत्र जगनन्दनसिंह निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. किरणदीपकौर पुत्री जगनन्दनसिंह निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. अर्षदीपसिंह पुत्र डिप्टीसिंह निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सन्दीपकौर पत्नी डिप्टीसिंह निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. नवदीपकौर पुत्री डिप्टीसिंह निवासी 8 एच. बड़ा संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगगानगर।
9. गुरविन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 2

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री गुरजीतसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण स्वयं

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 29.05.2017

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 जलदेवसिंह के पास चक 8 एच. बड़ा के खाता संख्या 35 के मुरब्बा नम्बर 30 खाता संख्या 55/59 के मुरब्बा नम्बर 23 में रकबा है व प्रार्थी संख्या 2 हरदेवसिंह के पास चक 7 एच. बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 94/89 के मुरब्बा नम्बर 28 में 5 बीघा रकबा है। प्रार्थी संख्या 3 के पास चक 7 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/71 के मुरब्बा नम्बर 27 में रकबा है। प्रार्थी संख्या 4 व 5 के पास चक 7 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/28 व खाता संख्या 53/40 के मुरब्बा नम्बर 41 में 8 बीघा रकबा है व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के पास चक 7 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/44 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 24 व 25 में रकबा है व अप्रार्थी संख्या 8 के पास खाता संख्या 99/92 के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 14, 15, 16, 17, 18 में 5 बीघा रकबा है। अप्रार्थी संख्या 9 के पास चक 7 एच. बड़ा के खाता संख्या 21/18 में मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 25 में रकबा है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नें अपनें अपनें रकबा में आनें जाने के लिये आपसी सहमती से चक 7 एच. बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 5 व 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक में से 1–1/2 बिस्वा रकबा रास्ते के लिये छोड़ रखा है। जो मौके पर रास्ता चालु है व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 25 में 12 फुट गुणा 20 फुट मुरब्बा नम्बर 28 में आनें जानें के लिये छोड़ रखा है।

प्रार्थी संख्या 8 गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी के रकबा मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 15, 16 में प्रत्येक में 1–1/2 बिस्वा रकबा जो रास्ता के छोडा गया है उसकी एवज में प्रार्थी संख्या 5 परविन्द्रसिंह नें अपनें रकबा के किला नम्बर 6 व 7 में 1–1/2 बिस्वा प्रत्येक में से कुल 3 बिस्वा रकबा गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी के रकबे के साथ चिपता हुआ छोड़ दिया है जो गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी के नाम से दर्ज किया जावे।

प्रार्थी संख्या 3 व 4 नें अपनें रकबा के चक 7 एच. बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 6 प्रत्येक में से 1–1/2 बिस्वा रकबा रास्ता के लिये छोड रखा है और मौका पर चालू है। प्रार्थी उसके एवज में कोई मुआवजा नहीं चाहते है।

प्रार्थीगण को इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकैल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थीगण को रास्ता मन्जूर होनें पर राजस्व रिकार्ड में इस आश्य कर प्रविष्टि की जानी है तथा लैण्ड होल्डर भी राज्य सरकार की तरफ से तहसीलदार साहब है इसलिये तहसीलदार साहब को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है।

अतः चक 7 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 5 व 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक में से 1–1/2 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 25 में 12 फुट गुणा 20 फुट मुरब्बा नम्बर 28 में आनें जानें के लिये रास्ता मन्जूर किये जानें के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत संगतपुरा में आयोजित शिविर में अप्रार्थीगण उपस्थित आये राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हम पक्षकारान रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। उक्त रास्ता सम्बंधी कोर्द विवाद नहीं है। अतः रास्ता मन्जूर किया जावे। राजीनामा के कथन मजमे आम में सुनाये गये जिस पर उभयपक्ष द्वारा सहमत होकर हस्ताक्षकर किये गये जिसकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत संगतपुरा द्वारा की किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर के रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अन्य कोई रास्ता प्रचलित नहीं है। मौके पर किसी न्यायालय को स्थगन नहीं है। रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

उभयपक्ष को सूना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः उभयपक्ष के राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 7 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 5 व 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक में से 1–1/2 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 25 में 12 फुट गुणा 20 फुट मुरब्बा नम्बर 28 में आनें जानें के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी संख्या 8 गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी के रकबा मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 15, 16 में प्रत्येक में 1–1/2 बिस्वा रकबा जो रास्ता के छोडा गया है उसकी एवज में प्रार्थी संख्या 5 परविन्द्रसिंह नें अपनें रकबा के किला नम्बर 6 व 7 में 1–1/2 बिस्वा प्रत्येक में से कुल 3 बिस्वा रकबा गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी के रकबे के साथ चिपता हुआ छोड़ दिया है जो गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी के नाम से दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाते है। रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 29.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत संगतपुरा के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्